Terms and Conditions for allowing N.D.T.V. Programme 'Good Morning India' on Doordarshan

2533. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what were the terms and conditions for allowing the NDTV programme 'Good Morning India' on Doordarshan;

(b) whether it is a fact that NDTV has threatened to stop the programme against Doordarshan's decision to unilaterally enhance the telecast fee; and

(c) if so, the details of the controversy and the action proposed against those found guilty of violating the contract?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Doordarshan slotted the programme 'Good Morning India' for telecast on DD-1 from 7.15 a.m. to 8.15 a.m. from Monday to Friday on the following commercial terms and conditions:—

(i) Telecast fee: Rs. 25,000 per hour

(ii) Free Commercial Time: 720 seconds

(iii) Revenue from spot buy over and above Free Commercial Time to be shared between Doordarshan and NDTV in 70:30 ratio.

(iv) Duration of contract: One year

(v) Programme to be a co-production between Doordarshan and NDTV.

(b) and (c) The programme was unilaterally withdrawn by NDTV. Doordarshan continued to charge the original telecast fee till the last episode of the programme.

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से कार्यक्रमों के प्रसारणों को बन्द किया जाना

2534. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ क्षेत्र (म०प्र०) में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये गये हैं और ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से किन-किन स्थानों पर वर्ष 1995-96 में और नवम्बर, 1996 तक किसी तकनीकी खराबी के कारण प्रसारण बन्द रहा और यह प्रसारण कितने-कितने समय के लिये बन्द रहा:

(ग) इन तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिये नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों का मुख्यालय ऐसे प्रसारण केन्द्रों से कितनी दूरी पर स्थित है; और

(घ) तकनीकी खराबी के कारण प्रसारण के बन्द होने के संबंध में सूचना प्राप्त करने के साधनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) विभिन्न ट्रांसमीटरों का कार्यनिष्पादन आम तौर पर संतोषजनक रहा है। बिजली आपूर्ति में अवरोध आने, उपस्कर की खराबी आदि के कारण सेवाओं में रुकावट की अवधि, ट्रांसमीशन की कुल अवधि के 0.5 प्रतिशत से कम रही है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों पर प्रचालन एवं अनुरक्षण स्टाफ उपलब्ध है। प्रचालन स्टाफ हालांकि दूरदर्शन के अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के रोजमर्रा की गड़बड़ी की देख भाल करता है, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना कर्मचारी के बिना की गई है। रायपुर तथा बिलासपुर स्थित अनुरक्षण केन्द्र, अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के समग्र कार्यकरण की देखरेख करते हैं जहां छत्तीसगढ़ क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों और अनुरक्षण केन्द्रों के बीच दूरी 70 कि० मी० से 330 कि० मी० के बीच है।